कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़(राज.)

क्रमांक/रसद/न.उ.मू.दु./2022/849-856 दिनांकः–14.12.2022

प्रेस विज्ञप्ति

प्रतापगढ़ जिले के उपखण्ड प्रतापगढ़, अरनोद, एवं पीपलखूंट में नवसृजित निम्नलिखित उचित मूल्य दुकानों पर नवीन उचित मूल्य दुकानदारों की नियुक्ति करने हेतु आवेदन पत्र मांगे गये है। प्रतापगढ़ उपखण्ड में ग्राम पंचायत बड़ीलाक भाग द्वितीय(सामान्य), ग्राम पंचायत ओड़वाड़ा(अनुसूचित जनजाति) ग्राम पंचायत अचलपुर(शाह जी का पठार) भाग द्वितीय(सामान्य), ग्राम पंचायत अमलावद तृतीय(सामान्य) ग्राम पंचायत बमोत्तर(हिगोरिया) (अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत वरमण्डल भाग द्वितीय(सामान्य), ग्राम पंचायत बसाड़(चनियाखेड़ी) भाग तृतीय(सामान्य), ग्राम पंचायत अवलेवश्वर भाग द्वितीय(अनुसूचित जाति महिला), ग्राम पंचायत घोटारसी(देवद) भाग द्वितीय(सामान्य), ग्राम पंचायत कुणी भाग तृतीय(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पचांयत मचलाना(सामान्य), ग्राम पचांयत असावता भाग द्वितीय(सामान्य महिला), ग्राम पंचायत बरोठा भाग द्वितीय(अनुसूचित जाति), ग्राम पंचायत बसेरा भाग द्वितीय(सामान्य), ग्राम पचांयत कुलथाना भाग द्वितीय(सामान्य), ग्राम पंचायत केरवास भाग तृतीय(सामान्य), ग्राम पचांयत मनोहरगढ़(टिमरवा) (अनुसूचित जनजाति), ग्राम पचांयत आमलीखेड़ा(पानड़िया)(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत झासड़ी भाग द्वितीय(सामान्य), ग्राम पचांयत गन्धेर भाग द्वितीय(सामान्य महिला), ग्राम पचांयत लुहारिया भाग द्वितीय (सामान्य), ग्राम पचांयत करमदीखेड़ा(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत बोरी भाग द्वितीय(सामान्य), ग्राम पंचायत पानमोड़ी भाग द्वितीय(सामान्य महिला), ग्राम पंचायत पीलू भाग चतुर्थ(सामान्य महिला), ग्राम पंचायत डाबड़ा भाग द्वितीय(अनुसूचित जाति), ग्राम पंचायत कल्याणपुरा भाग द्वितीय(सामान्य) ग्राम पंचायत सामालीपठार(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत देवगढ़(लालपुरा) भाग द्वितीय(अनुसूचित जनजाति महिला), ग्राम पंचायत चिकलाड़ भाग द्वितीय (अनुसूचित जनजाति महिला), ग्राम पंचायत खुंटगढ़(कमलाकुड़ी) भाग द्वितीय(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत खुटगढ़(आड़ावेला) भाग तृतीय(सामान्य), ग्राम पंचायत मगरी(सामान्य महिला), ग्राम पंचायत देवपुरा(जाम्बुवेला) भाग तृतीय(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत देवपुरा भाग चतुर्थ(अनुसूचित जनजाति महिला), ग्राम पंचायत टीला(खोरा) भाग द्वितीय(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत कुलमीपुरा भाग तृतीय(सामान्य), ग्राम पंचायत बिहारा(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत बारावरदा(डोली) भाग द्वितीय(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत खेड़ानारसिंमाता भाग तृतीय(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत सरिपीपली भाग द्वितीय,(अनुसूचित जनजाति महिला), ग्राम पंचायत मधुरातालाब भाग द्वितीय(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत पाल(भूरी तलाई) भाग तृतीय(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत माड़कला(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत ढिकनिया(धोलीमगरी) भाग द्वितीय(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत नारायणखेड़ा(खिजनखेड़ा) भाग तृतीय(अनुसूचित जनजाति महिला), ग्राम पंचायत बरड़िया भाग चतुर्थ(सामान्य महिला),।

अरनोद उपखण्ड की ग्राम पंचायत अचलावदा भाग द्वितीय(अनुसूचित जनजाति महिला), ग्राम पंचायत मंड़ावरा भाग द्वितीय(सामान्य महिला), ग्राम पंचायत जाजली भाग तृतीय(अनुसूचित जाति), ग्राम पंचायत बेड़मा भाग तृतीय(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत बेड़मा भाग चतुर्थ(अनुसूचित जनजाति महिला), ग्राम पंचायत अरनोद भाग तृतीय(सामान्य), ग्राम पंचायत लालगढ़ भाग तृतीय(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत साखथली खुर्द भाग तृतीय(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत बड़ी साखथली भाग तृतीय(सामान्य महिला), ग्राम पंचायत बड़ी साखथली(भागामड़) भाग चतुर्थ(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत चुपना भाग चतुर्थ(सामान्य महिला), ग्राम पंचायत चुपना भाग पंचम(सामान्य महिला), ग्राम पंचायत प्रतापपुरा भाग द्वितीय(अनुसूचित जनजाति महिला), ग्राम पंचायत अचनारा भाग द्वितीय(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत मोहेड़ा भाग तृतीय(अनुसूचित जाति), ग्राम पंचायत कोटड़ी भाग द्वितीय(सामान्य), ग्राम पंचायत लापरियारूण्ड़ी(मोरण्ड़ी)(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत सालमगढ़ भाग

Scanned with CamScanner

तृतीय(अनुसूचित जनजाति) ग्राम पंचायत सालमगढ़ भाग चतुर्थ(सामान्य महिला), ग्राम पंचायत चकुण्ड़ा(माण्डवी) भाग द्वितीय(सामान्य), ग्राम पंचायत दलोट भाग तृतीय(सामान्य), ग्राम पंचायत रायपुर भाग तृतीय(अनुसूचित जनजाति महिला), ग्राम पंचायत सात महुड़ी(सामान्य), ग्राम पंचायत सेवना भाग तृतीय(अनुसूचित जनजाति) ग्राम पंचायत कुम्हारियों का पठार(नान्दीखेड़ा) भाग तृतीय(सामान्य), ग्राम पंचायत रायपुर जंगल(बीरपुरा भुराघाटा) भाग तृतीय(सामान्य), ग्राम पंचायत निनोर भाग तृतीय (अनुसूचित जनजाति महिला), ग्राम पंचायत कानगढ़ भाग तृतीय(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत लुहारखाली(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत भाट भमरिया भाग द्वितीय(सामान्य), ग्राम पंचायत बोरी अ भाग द्वितीय(सामान्य),।

पीपलखूंट उपखण्ड़ की ग्राम पंचायत पीपलखूंट भाग द्वितीय(सामान्य), ग्राम पंचायत कालीघाटी भाग द्वितीय(अनुसूचित जनजाति महिला), ग्राम पंचायत लाम्बाडाबरा(सामान्य), ग्राम पंचायत रोहनिया भाग तृतीय(अनुसूचित जनजाति महिला), ग्राम पंचायत बोरी(सामान्य), ग्राम पंचायत ठेचला भाग द्वितीय(अनुसूचित जनजाति महिला), ग्राम पंचायत डुगलावाणी भाग द्वितीय(अनुसूचित जनजाति महिला), ग्राम पंचायत केसरपुरा भाग द्वितीय(सामान्य महिला), ग्राम पंचायत सोबनिया(सामान्य), ग्राम पंचायत जामली द्वितीय(सामान्य),ग्राम पंचायत कुशलपुरा(सामान्य), ग्राम पंचायत महुवाल भाग द्वितीय(सामान्य), ग्राम पंचायत जेथलिया(सामान्य), ग्राम पंचायत टामटिया(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत सागबरी(सामान्य), ग्राम पंचायत कचौटिया(दौतड़) भाग तृतीय(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत पाड़लिया(लखमाखेड़ी) भाग द्वितीय(सामान्य महिला), ग्राम पंचायत मोटाधामनिया भाग द्वितीय(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत तलाया भाग द्वितीय(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत पण्ड़ावा भाग द्वितीय (अनुसूचित जनजाति महिला), ग्राम पंचायत दत्तीयार(गामदा) भाग द्वितीय(अनुसूचित जाति), ग्राम पंचायत रतनपुरिया भाग द्वितीय(अनुसूचित जाति), ग्राम पंचायत धारियाखेड़ी भाग द्वितीय (अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत रामपुरिया भाग तृतीय(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत सुहागपुरा(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत मोटा मायंगा(अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत वीरपुर भाग द्वितीय(सामान्य महिला), ग्राम पंचायत पटेलिया भाग द्वितीय(अनुसूचित जनजाति),।

आवेदक संबंधित ग्राम पंचायत निवासी हो तथा सीनियर(Senior) पास हो एवं कम्पयूटर में Rajasthan knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त हो एवं 1 लाख रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र होना योग्यता अनिवार्य हैं। चयन में ग्राम सेवा सहकारी समिती, लैम्पस, महिला अधिकारिता विभाग से मान्यता प्राप्त स्वय सहायता समूह एवं ग्राम पंचायतो को प्रथम वरियता दी जावेगी।

आवेदन पत्र 100 रूपये का डीडी या पोस्टल आर्डर शुल्क जमा करवाकर कार्यालय समय में जिला रसद अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। एवं दिनांक 05.01.2023 तक निर्धारित प्रारूप में जिला रसद अधिकारी कार्यालय प्रतापगढ़ में जमा करवाए जा सकते हैं।

पात्रता के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जिला रसद अधिकारी, कार्यालय में तथा जिले की वबसाईट http://pratapgarh.rajasthan.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

14.12.22

(रामेश्वर मीणा)
जिला रसद अधिकारी
प्रतापगढ़

क्रमांक/रसद/न.उ.मू.दु./2022/849-856 दिनांकः–14.12.2022

प्रतिलिपी :–

1. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़ को समाचार पत्रो में प्रकाशन हेतु ।

14.12.22

जिला रसद अधिकारी
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner

आवेदन पत्र का मूल्य – रूपये 100/–   आवेदन पत्र संख्या..........................

आवेदक का
पासपोर्ट साइज
हस्ताक्षरयुक्त फोटो

प्राधिकृत उचित मूल्य दुकान के लिए प्राधिकार हेतु आवेदन

रिक्त दुकान के केन्द्र का विवरण जिसकी नियुक्ति हेतु आवेदन किया है ....

ग्राम पंचायत .... विज्ञप्ति में अंकित वितरण केन्द्र ....तहसील ....

1. आवेदक का नाम– .... पिता/पति का नाम ....
   जन्म तिथि– ..../.............../.................. उम्र .... वर्ग ....
2. आवेदक का पता (निवास)
   ग्राम का नाम .... वार्ड संख्या .... ग्राम पंचायत ....मोबाईल नम्बर.........................
   फोन .... ई मेल पता ....
3. निवास के संबंध में संलग्न दस्तावेज ....
4. अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के होने पर संलग्न दस्तावेज –..

5. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं संलग्न दस्तावेज –...
   कम्प्यूटर में डिप्लोमा हैं या नहीं संलग्न दस्तावेज –..
6. आवेदित उचित मूल्य दुकान हेतु प्रस्तावित दुकान का विवरण –...
   प्रस्तावित दुकान के स्वामीत्व का प्रकार – स्वयं की हैं या किराये की ....
   ग्राम.....................................मकान मालिक का नाम..................................... ग्राम पंचायत...
   दुकान के सामने सड़क की चौड़ाई ....
7. एक लाख का हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न हैं या नहीं –..
8. आवेदक सहकारी समिति/लेम्पस/ महिला अधिकारिता विभाग से मान्यता प्राप्त महिला स्वयं सहायता समूह/सहकारी दुग्ध उत्पादन समिति/ग्राम पंचायत हैं तो उसका विवरण...
   गठन का रजिस्ट्रेशन नम्बर ....माह एवं वर्ष ....
9. संस्था या निगमित निकाय है, तो अध्यक्ष/प्रबन्धक/सचिव का नाम –
   अध्यक्ष का नाम .... सचिव का नाम .... प्रबन्धक का नाम ....
   दूरभाष/मोबाईल नं. .... दूरभाष/मोबाईल नं. .... दूरभाष/मोबाईल नं. ....
10. क्या संस्था या निगमित निकाय के द्वारा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु प्रस्ताव पत्र जारी है ....
    ....
11. उक्त संस्था या निगमित निकाय द्वारा लगाई गई पूंजी का विवरण
    अंश पूंजी .... कार्यशील पूंजी ....
12. क्या उक्त संस्था या निगमित निकाय के द्वारा पहले से ही खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थो का आदेश 1976 के अन्तर्गत वितरण कार्य किया जा रहा है ? यदि हां तो किस स्थान पर ? ....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ....

Scanned with CamScanner

घोषणा

(जो लागू नहीं हो वह काट दें)

1. यह है कि मैनें राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु प्रारूप "क" में आवेदन किया है जिसमें समस्त भरे गये बिन्दु सत्य हैं। मैनें/हमने उक्त आदेश, 1976 के उपबन्धों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मैं/हम उक्त आदेश के उपबन्धों को तथा समय–समय पर तदधीन जारी दिशा निर्देशों की पालना करूंगा/करेंगें।
2. यह है कि मैं/संस्था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन किसी अपराध के लिए पूर्व मे दण्डित नहीं किया गया हूँ।
3. यह है कि मैं/संस्था का पूर्व में उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र गम्भीर अनियमितताओं के कारण निरस्त नहीं हुआ हैं।
4. यह है कि परिवार के किसी सदस्य यथा माता, पिता, अविवाहित पुत्री, आश्रित पुत्र, माता–पिता पर आश्रित बालिग पुत्र के नाम पूर्व से कोई दुकान नहीं है।
5. यह है कि मेरे पास राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण है/नहीं है, किन्तु मैं यह प्रशिक्षण चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्राप्त कर लूंगा/लूंगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।
6. यह है कि मेरा दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं हैं। मुझे यह भी ज्ञात है कि उचित मूल्य दुकान आंवटन होने के बाद यदि दिनांक 01.01.2015 के पश्चात् मेरी दो से अधिक संतान होगी तो ऐसा होने की स्थिति में प्राधिकार पत्र निरस्त हो जायेगा।
7. यह है कि मैं स्वयं अथवा मेरी पत्नी/मेरे पति वर्तमान में निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं हैं।
8. यह है कि मैं बालिग एवं स्वस्थ्य चित हूँ तथा दिवालिया घोषित नहीं हुआ हूँ या संस्था दिवालिया घोषित नहीं हैं।
9. यह है कि मुझे/संस्था को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हैं।
10. यह है कि मेरे द्वारा प्राधिकार पत्र हेतु संलग्न आवेदन पत्र में अंकित समस्त तथ्य एवं प्रस्तुत सूचनायें/दस्तावेज सही है और कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया हैं।
11. यह है कि उचित मूल्य दुकान का आंवटन होने पर मैं/संस्था दुकान का संचालन स्वयं करूँगा/करूँगी।
12. यह है कि मेरे घर में कार्यशील शौचालय हैं।
13. यह मेरी जानकारी में है कि गलत सूचनायें देना एवं ऐसा साबित होना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन दण्डनीय अपराध हैं।

मैं/हम घोषणा करते है कि मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार उपर्युक्त विशिष्टियाँ सहीं है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मेरे/हमारे द्वारा दी गयी सूचनायें गलत पाये जाने पर आवेदन/उचित मूल्य दुकान का आंवटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठों की कुल संख्या ....

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

आवेदन की योग्यताऐं एवं शर्ते

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का छायां चित्र लगा होगा तथा एक छायां चित्र अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल संबंधित जिला रसद कार्यालय से जारी किये जायेंगे। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटरी बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वींकार नहीं किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/– रू निर्धारित है। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का डी.डी अथवा पोस्टल ऑर्डर जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेंगे।

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डो में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदन उसी पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। (उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र में निवासी होने के संबंध में प्रमाणु पत्र स्वरूप राशनकार्ड/वोटर लिस्ट/ मूल निवास/ निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र/आधार कार्ड/जनआधार कार्ड में कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा)
2. सभी क्षेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदकों की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (उम्र के प्रमाण हेतु दसवीं की अंक तालिका/प्रमाण पत्र या अन्य अंक तालिका/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो या पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है)
3. शैक्षणिक योग्यता सीनियर उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का अधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदन यह शपथ पत्र देगा कि चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जायेगा। आवेदन समितियां/समूह निकाय होने पर संबंधित अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
4. आवेदक को आवेदन पत्र में अंकित घोषणाओं के संबंध में 10/– रू के स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
5. आवेदक स्वयं अथवा आवेदक की पत्नी/पति निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।
6. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई सन्तान सहित दो से अधिक सन्तान नहीं होना चाहिए। दिनांक 01.01.2015 के पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने की स्थिति में व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा।
7. प्रस्तावित दुकान का नक्शा साईट प्लान तथा रूट प्लान के साथ सही माप में दर्शा कर तीन प्रति में स्वप्रमाणित करके प्रस्तुत किया जावेगा। नक्शे में प्रस्तावित दुकान के आगे–पीछे व दायें–बायें स्थित भवनों/स्थानों/भूमि/सड़क का स्पष्ट विवरण दिशा ज्ञान के साथ अंकित किया जाना है। प्रस्तावित दुकान किरायें की होने पर अनुंबंध की प्रति/स्वयं की होने पर पटटे की प्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न की जावे। दुकान केन्द्रीय स्थल पर स्थित हो, ताकि उपभोक्ता आसानी से पहुंच सके।

Scanned with CamScanner

प्रस्तावित दुकान सुरक्षा एवं यातायात के साधन के दृष्टिकोण से उचित स्थान पर होनी चाहिए। आवेदन को प्रस्तावित दुकान के संबंध में अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे, जिस हेतु प्रस्तावित दुकान 30 फिट सड़क पर स्थित होकर न्यूनतम 200 वर्गफीट की होना तथा दुकान का द्वार/शटर न्यन्तम 10 फिट गुणा 10 फिट को होना आवश्यक है।

8. संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदक के संबंध में जारी न्यूनतम 100000/— का मूल हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। (हैसियत प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा।
9. उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्रधारी जिनके विरूद्व गम्भीर अनियमितताऐं पाये जाने पर गत 10 वर्षो में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो, तो ऐसे आवेदकों को उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं की जावेगी।
10. **चयन के प्राथमिकता क्रूम :**

<u>प्रथम वरियता</u> : (i) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस (वृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/ दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है (ii) निगमित निकाय।

- यदि आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह है तो आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला एवं बाल विकास से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय उपनिदेशक/सहायक निदेशक की अभिशंषा संलग्न करनी होगी।
- यदि आवेदन सहकारी समितियां है जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो, तो आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। सहायक पंजीयक/उप पंजीयक से मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबध में उनकी अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की अभिशंषा संलग्न करनी होगी।

<u>द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत</u> : (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर) (1) निःशक्त (2) महिलाऐं (i) शहीद की विधवा (विरांगना) (ii) विधवा (iii) परित्यक्ता (3) भूतपूर्व सैनिक (4) बैरोजगार

- निःशक्त जान को स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र या समाज कल्याण का प्रमाण पत्र, वीरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा परित्यक्ता को संबंधित विभाग का प्रमाण

Scanned with CamScanner

पत्र, भूतपूर्व सैनिक को सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र बैरोजगार को एम्पलोयमेन्ट एक्सचेंज का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

11. द्वितीय वरियता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम सीमा 60 वर्ष की आयु तक होगी।

12. सभी आवेदकों को दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्नकर प्रस्तुत करने है।

उपरोक्त रिक्तियों के संबधं में विभागीय पत्रांक एफ 17(1)खा.वि/विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देश में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 दिशा निर्देश तथा रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट Food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय प्रतापगढ़ में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उक्त रिक्तियों में कमी/बढ़ोतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है। तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा।

14.12.22

(रामेश्वर मीणा)
जिला रसद अधिकारी
प्रतापगढ़

क्रमांक/रसद/एफपीएस नियुक्ति/विज्ञप्ति/2022/849-856 दिनांकः– 14.12.2022

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, चतुर्थ मंजिल, खाद्य भवन शासन सचिवालय जयपुर राजस्थान उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट Food.raj.nic.in वा अपलोड करवाने बाबत्।
3. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी प्रतापगढ़ को जिले के वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत्।
5. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, प्रतापगढ़।
6. उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग प्रतापगढ़।

14.12.22

जिला रसद अधिकारी
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner